



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: md@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक 6522 / प्र०नि०/उपाकालि/एम-20

दिनांक 24-08-2026

कार्यालय ज्ञाप

प्रायः देखा गया है कि जमा योजना मद (यथा मा० मुख्यमंत्री की घोषणा, एस०ए०एस०सी०आई०, सडक चौडीकरण आदि), (परन्तु एन०एस०सी० मद को छोड़ते हुए) में जो भी कार्य सम्पादित कराये जाते हैं उन कार्यों का विस्तृत विवरण/पूर्ण जानकारी मुख्यालय को प्राप्त नहीं हो पाती है। इन कार्यों के सम्पादन हेतु सम्पूर्ण सामग्री की समय पर उपलब्धता न होने से इनके सम्पादन में विलम्ब भी हो जाता है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कारपोरेशन हित में इस सीमा तक समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि **प्राक्कलन की कुल धनराशि रु० 1.00 करोड़ (एक करोड़)** से अधिक के जो भी कार्य सम्पादित करवाये जायेंगे उनकी प्रशासनिक अनुमति (निविदा आमंत्रित करने से पूर्व) प्रबन्ध निदेशक से प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी। साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि :-

1. समय सीमा की बाध्यता एवं कार्य क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए कार्य को टर्नकी के आधार पर ही निष्पादित कराया जायेगा।
2. कार्य में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता व दरों को दृष्टिगत रखते हुए टर्नकी के आधार पर निष्पादित होने वाले कार्यों में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख सामग्री यथा पोल, कण्डक्टर, केबिल एवं परिवर्तक आदि विभाग में वर्तमान में आपूर्ति कर रहे सूचीबद्ध निर्माताओं से ही क्रय की जायेगी ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित रहे।
3. सामग्री का निरीक्षण आई०एण्डक्यू०, उपाकालि के माध्यम से करवाया जायेगा।
4. नवीन निर्माताओं को मुख्यालय स्तर पर कारपोरेट (अनुबन्ध एवं क्रय) अनुभाग द्वारा आपूर्ति हेतु सूचीबद्ध किया जायेगा।
5. जमा योजना के आदेशों के अनुक्रम में अति महत्वपूर्ण योजना होने के कारण योजना से सम्बन्धित समस्त आदेश एवं अभिलेख पृथक से रखे जायेंगे।
6. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निष्पादित प्राक्कलन (As Executed Estimate) अनिवार्य रूप से बनाया जाये तथा निष्पादित प्राक्कलन में सभी प्रकार के व्ययों एवं करों आदि को सम्मिलित किया जाये। संबंधित अधिशासी अभियन्ता का दायित्व होगा कि वे सम्पूर्ण धनराशि/निष्पादित प्राक्कलन में वृद्धि होने पर सम्बन्धित संस्था/निगम/विभाग से अन्तर की धनराशि नियमानुसार प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
7. आवश्यकतानुसार रु० 1.00 करोड़ से कम की धनराशि के कार्यों को टर्नकी आधार पर सम्पादित कराये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक का अनुमोदन आवश्यक होगा।
8. पूर्व में निर्गत आदेश सं० 5003/निदे०(परिचालन)/उपाकालि/ एम-20, दिनांक 09.12.2022 इस आदेश के आलोक में संशोधित माना जायेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि ऐसे कार्य जिनमें सुपरविजन चार्जस, उपभोक्ता/हिताधिकारी (beneficiary) द्वारा जमा करते हुए कार्य पूर्ण किया जाता है, रु० 25 लाख से अधिक के प्राक्कलनों के प्रकरण में प्रशासनिक अनुमोदन प्रबन्ध निदेशक स्तर से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

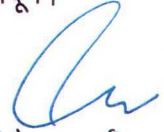
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

(पी० सी० ध्यानी)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 6522-प्र0नि0/उपाकालि/M-20/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (वितरण एवं परियोजना)/(वित्त), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. अधिशासी निदेशक (तकनीकी)/(मानव संसाधन), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, उपाकालि,।
4. महाप्रबन्धक (विधि), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक (वित्त), उपाकालि,।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि,।
7. उपमहाप्रबन्धक (वित्त), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
8. कम्पनी सचिव, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि,।
10. ✓ अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रो0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।



(गौरव शर्मा)

अधी0 अभि0 (तकनीकी)-प्र0नि0